पिहानी– इतिहास के पन्ने से

'दश्मिके अवध' के नाम से इतिहास के पन्ने में अमर पिहानी की स्थापना मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार कन्नौज के काजी सैय्यद अब्दुल गफूर द्वारा 16वीं शताब्दी के मध्य की गई। यह 17' उत्तरी अक्षांश और 80' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस क्षेत्र की सीमाएं सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहाँपुर को स्पर्श करती है। पिहानी का वैभव इतिहास स्वर्णोक्षरों में अंकित है, जिसे आज के समय में पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया यहां के लोगों में दिखाई देती है। मुगलकाल में इस नगर को दश्मिके अवध की संज्ञा दी गयी थी।

इस कड़ी से जुड़ी है राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, जिसका श्रेय डॉ0 अशोक बाजपेयी, पूर्व मंत्री, कृषि एवं धर्मार्थ, को जाता है। प्रथम प्राचार्य श्री सैय्यद एजाज अली ने 3 जुलाई 2000 को कार्यभार ग्रहण किया पिहानी एवं इसकी क्षेत्रीय भावना को निरन्तर उन्नयन की दिशा में प्रेरित कर रहा है।

सामान्य सूचना

1. महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं/अनुचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक–पत्र के आधार पर प्रवेश पाता है तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध आई.पी.सी. की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. कला एवं विज्ञान संकाय में स्नातक अभ्यर्थियों का दाखिला इण्टरमीडियट में प्राप्त अंकों एवं विषयों के आधार पर लिया जायेगा।
4. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में वाणिज्य, गणित या अर्थशास्त्र विषय का होना अनिवार्य है।

योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा :–

1. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।
2. यदि अभ्यर्थी के इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसके हाईस्कूल परीक्षा का अंक प्रतिशत अधिक होगा।
3. यदि हाईस्कूल में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर भारण (यदि कोई है) का अधिकारी होगा।

   अ. भारण : उत्कृष्ट खिलाड़ी (राज्य स्तर पर) 03 अंक, सांस्कृतिक (पिछले 03 वर्षों में) 03 अंक, एन.सी.सी. 'बी'/'सी' प्रमाण–पत्र धारक 03 अंक, एन.एस.एस. (राज्य स्तर पर) 03 अंक, स्काउट गाइड (राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर) संकायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को भारण के फलस्वरूप संयुक्त मेरिट में अर्जित प्राप्तांक जोड़कर उनका योग्यता क्रमांक योग्यता सूची में निर्धारित किया जायेगा तथा भारण का कुल योग 05 अंक से अधिक नहीं स्वीकार किया जायेगा। भारण हेतु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अवश्य लगायें।

ब. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय के पास किसी भी प्रवेशार्थी के प्रवेश को किसी भी अवस्था में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. प्रवेश से सम्बन्धित अध्यादेश के प्राविधानों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में सभी विवाद महाविद्यालय की प्रवेश समिति को सौंपे जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा।
7. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज अथवा नदवा कालेज, लखनऊ से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने यदि अंग्रेजी भाषा के साथ इण्टरमीडियट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
8. प्रवेश प्रक्रिया के लिए यू.जी.सी. के सुसंगत नियम (समय–समय पर संशोधित) बाध्यकारी होंगे।
9. काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों (जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी उपस्थिति की सूचना दी है) को उनकी रैंक व विषयों की तत्क्षण उपलब्धता के आधार पर, विषयों का आवंटन किया जायेगा। किसी भी आवंटित विषय का बाद में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। विलम्ब से अपनी उपस्थिति की सूचना देने वाले उच्चतर मेरिट के अभ्यर्थी, यदि उच्चतर मेरिट की सीटें भरी जा चुकी हैं, तो अपनी पसंद के विषय के आवंटन का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। उन अभ्यर्थियों को उस समय शेष उपलब्ध विषयों के विकल्प ही उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
10. एक बार प्रवेश होने के पश्चात शुल्क की वापसी नहीं होगी।
11. प्रवेश से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश

कोविड–19 के दृष्टिगत महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के समस्त कक्षाओं में सत्र 2021–22 में प्रवेश आनलाइन प्रक्रिया निम्नवत् है–

1. आवेदन करने से पूर्व अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तथा अन्य शर्तों हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा जारी प्रवेश विवणिका 2021–22 का अवलोकन अवश्य करें।
2. इच्छुक अभ्यर्थी www.gdcpihani.mycms.in वेबसाइट पर जाकर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।
3. बी0ए0 संस्कृत, हिन्दी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में से केवल दो विषय ही स्नातक स्तर पर लिए जायेंगे।
4. बी0एससी0 गणित वर्ग के अभ्यर्थियो हेतु गणित एवं भौतिक विज्ञान अनिवार्य है, तृतीय विषय के रूप में रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा लिए जायेंगें।
5. बी0एससी0 जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियो हेतु जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान अनिवार्य है, तृतीय विषय के रूप में रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा लिए जायेंगें।
6. बी०एस–सी० प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिये जायेंगे जिन्होंने इण्टर विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया है।

7. प्रवेश प्रकिया क्रमशः इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर होगी ।
8. आवेदन फार्म का प्रिंट महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय समस्त संलग्न अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से किया जायेगा।
9. आवेदन शुल्क मात्र रूपये 100 का केवल भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिग और यूपीआई के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है।
10. विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.gdcpihani.mycms.in का अवलोकन करें।
11. ऑनलाइन आवेदन में किसी भी कठिनाई हेतु **ईमेल** principal.gdcpihani@gmail.com पर संपर्क करें।

संचालित पाठ्यक्रम

कला संकाय : कुल सीटें – 360

1. संस्कृत
2. हिन्दी साहित्य
3. अंग्रेजी साहित्य
4. राजनीति शास्त्र
5. समाजशास्त्र
6. अर्थशास्त्र
7. शारीरिक शिक्षा

नोटः– संस्कृत, हिन्दी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में से केवल दो विषय ही स्नातक स्तर पर लिए जायेंगे।

विज्ञान संकाय : कुल सीटें – 240

1. गणित वर्ग
   1. गणित
   2. भौतिक विज्ञान
   3 रसायन विज्ञान
   4 शारीरिक शिक्षा

नोटः– गणित वर्ग के अभ्यर्थियो हेतु गणित एवं भौतिक विज्ञान अनिवार्य है, तृतीय विषय के रूप में रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा लिए जायेंगें।

2. जीव विज्ञान वर्ग
   1. जन्तु विज्ञान
   2 वनस्पति विज्ञान
   3 रसायन विज्ञान
   4 शारीरिक शिक्षा

नोटः– जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियो हेतु जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान अनिवार्य है, तृतीय विषय के रूप में रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा लिए जायेंगें।

वाणिज्य संकाय **(सभी अनिवार्य विषय)** **कुल सीटें–180**

1. B.Com. I

Group A papers	व्यावसायिक संचार
	व्यावसायिक साख्यिकी
Group B papers	वित्तीय लेखाँकन
	व्यावसायिक सनियम एवं रूपरेखा
Group C papers	व्यावसायिक अर्थशास्त्र
	व्यावसायिक पर्यावरण

1- B.Com. II

Group A papers	कम्पनी अधिनियम
	लागत लेखांकन
Group B papers	व्यवसाय प्रबन्ध के सिद्धान्त
	आयकर
Group C papers	उद्यमिता के मुल तत्व
	सार्वजनिक वित

2- B.Com. III

Group A papers	निगभीय लेखांकन
	अंकेक्षण
Group A papers	मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ
	सूचना प्रोघोगिकी
Group A papers	विपणन के सिद्धांत
	अन्तराष्ट्रीय विपणन
मौखिक परीक्षा	100 अंक

नोट– स्नातक स्तर पर सभी संकायों में पर्यावरण अध्ययन ⁄राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम अनिवार्य है।

एम0ए0 समाजशास्त्रः : कुल सीटें – 60

1. समाजशास्त्र

नोटः– एम ए समाजशास्त्र में प्रवेश हेतु न्यूनतम अहर्ता बीए अंतिम वर्ष में समाजशास्त्र विषय एवं 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यार्थी ने स्नातक अन्य संकाय से किया है, स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अनिवार्य होना चाहिए।

नोट :– विषय संयोजन (समूह) विश्वविद्यालय नियमानुसार ही मान्य होंग

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय पर गठित प्रवेश समिति द्वारा योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची से पूर्ण की जाती है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी।
2. प्रवेशार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में कम से कम निम्नलिखित अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। (अ) बी0कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 45: अंक

   (ब) बी.एस–सी. में प्रवेश के लिए न्यूनतम 45: अंक

   (स) बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम 40: अंक

   (द) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के प्रवेश शासन एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार।
3. बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टर कला वर्ग के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जायेगी, कला वर्ग से इतर उत्तीर्ण अभ्यर्थी (अर्थात विज्ञान, वाणिज्य के लिए) उनके प्राप्तांकों में से 10 अंक काट कर योग्यता सूची तैयार होगी, इण्टर व्यवसायिक वर्ग के छात्रध्छात्राओं के लिये उनके प्रयोगात्मक के अंक घटा कर तथा उनके प्राप्तांकों को 500 के पूर्णांक में परिवर्तित कर सूची तैयार कर दी जायेगी तथा संकाय परिवर्तन के 10 अंक भी काटे जायेंगे। यदि वरीयता अंक किन्हीं छात्रध छात्राओं के बराबर आगणन होते हैं तो उनके हाईस्कूल के अंकों को ध्यान में रखा जायेगा।
4. बी0कॉम0 प्रथम वर्ष की योग्यता सूची इण्टर वाणिज्य वर्ग के आधार पर तैयार की जायेगी। वाणिज्य वर्ग से इतर उत्तीर्ण अभ्यर्थी (अर्थात विज्ञान, कला के लिए) उनके प्राप्तांकों में से 10 अंक काट कर योग्यता सूची तैयार होगी। इण्टर व्यवसायिक वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए उनके प्रयोगात्मक के अंक घटाकर तथा उनके प्राप्तांकों को 500 के पूर्णांक में परिवर्तित कर सूची तैयार कर दी जायेगी तथा संकाय परिवर्तन के 10 अंक भी काटे जायेंगे। यदि वरीयता अंक किन्हीं छात्र/छात्राओं के बराबर आगणन होते हैं तो उनके हाईस्कूल के अंकों को ध्यान में रखा जायेगा।
5. बी०एस–सी० प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिये जायेंगे जिन्होंने इण्टर विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया है।
6. इण्टर कृषि वर्ग के छात्र/छात्राओं को केवल बी0कॉम0 में सीटें अतिरिक्त रहने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है।
7. बोनस अंकों का निर्धारण योग्यता सची तैयार करने में निम्न प्रकार होगा

   (अ) खेलकूद के लिए राष्ट्रीय/मण्डलीय स्तर में भागीदारी हेतु 10 अंक।

   (ब) एन0सी0सी0 बी प्रमाण पत्र के लिये 10 अंक और सी प्रमाण पत्र के लिए 15 अंक।

   (स) राष्ट्रीय सेवा योजना के 240 घण्टे के प्रमाण पत्र के लिए 10 अंक।

   (द) स्काउट/गाइड के प्रमाण पत्रों के 05 अंक।

   नोट :– कुल बोनस अंक 15 से अधिक देय नहीं होंगे। 11. गैप इयर हेतु निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए 10 अंक मेरिट के काटे जायेंगे ।

8. इस महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंक होने पर ही प्रवेश दे दिया जायेगा।

9. आरक्षण शासनादेशों के अन्तर्गत दिया जायेगा। जो निम्न प्रकार है –

(अ) अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत।

(ब) अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत।

(स) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रवेश के समय लागू शासन/विश्वविद्यालय के नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

क्षैतिज आरक्षण निम्न प्रकार हैं।

(अ) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।

(ब) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के पाल्यों के लिए 3 प्रतिशत।

(स) महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत ।

10. अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्त सीटों की पूर्ति/अंतिम प्रवेश तिथि को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से की जायेगी।

11. शासन तथा उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा

(क) जो गत वर्ष किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों अथवा परीक्षा में बैठने से रोक दिये अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण रोक दिया गया हो।

(ख) जिनको महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया हो।

(ग) जिन्होंने महाविद्यालय में बी०एस०सी०/बी०कॉम०/बी0ए0 में गत वर्ष में प्रवेश लिया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों।

(घ) जो किसी आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता हों या जिन पर वर्तमान में कोई अभियोग चल रहा हो अथवा जिनका आचरण संदिग्ध हो।

(ङ) जो निर्धारित साक्षात्कार तिथि को उपस्थित न हुए हों और अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न किया हो।

(च) बी0एस–सी0/बी0कॉम०/बी0ए0 की द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं में किसी प्रकार के स्थानान्तरण मान्य नहीं हैं।

(छ) जिन्होंने इण्टर की परीक्षा अमान्य संस्था से उत्तीर्ण की हो।

12. प्रवेश हेतु चयनित सूची के अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित साक्षात्कार तिथि को समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी के अनुपस्थित हो जाने की दशा में योग्यता सूची में उनके निचले क्रम के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा तथा उनका प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात समस्त

प्रवेशित सूची की सी.डी. तैयार कर विश्वविद्यालय/शासन/विभाग को भेज दी जायेगी।

13. उत्तर प्रदेश शासन/कानपुर विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रवेश सम्बन्धी आदेशों का सम्यक अनुपालन किया जायेगा।
14. प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में अपने सक्रिय मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के ऐसे प्रवेशार्थी को जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु.02 लाख से कम है को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति देय होती है परन्तु इच्छुक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरकर प्रवेश के समय ही जमा करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण प्रवेश के समय साथ में लाना अनिवार्य होगा।

विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित तिथि तक online आवेदन कर उसके प्रिन्ट की गयी दो प्रतियां छात्रवृत्ति प्रभारी को समय अन्तर्गत उपलब्ध करायेंगे।

1. https://edistrict.up.gov.in/edistrictup से डाउनलोड किये गये जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा जाति हेतु) की स्वतः प्रमाणित प्रति।
2. माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो https://edistrict.up.gov.in/edistrictup से डाउनलोड किया गया हो, की स्वतः प्रमाणित प्रति।
3. अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्वतः प्रमाणित प्रति।
4. हरदोई जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर पासबुक की छाया प्रति।
5. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष के रजिस्ट्रेशन नम्बर से ही छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कराना होगा। नवीन फार्म महाविद्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।
6. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन–पत्र उन्हीं छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा जिनकी उपस्थिति 75 % या उससे अधिक होगी।

अल्पसंख्यक वर्ग हेतु सूचना

शासनादेश संख्या 2890/52–2004 दिनांक 16–10–2004 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रध्छात्राओं जैसे रू– शेख, सैय्यद, खान, मुगल, पठान, शिया, तुर्क को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। जैसे रू– गद्दी, बेहना, अंसारी, जुलाहा, तेली, टाइन, मनिहार, फकीर, मलिक, धोबी, मोमिन, अंसार आदि को भी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सिख, बौध, जैन समुदाय के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग में आवेदन करेंगे।

नोट— मुस्लिम वर्ग के सभी छात्र/छात्राएं चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य में आते हों, अल्पसंख्यक वर्ग में आवेदन करेंगे।

प्रवेश के समय वांछित सामग्री

योग्यता सूची में नाम आ जाने पर प्रवेशार्थी निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर अपने माता—पिता/अभिभावक के साथ निर्धारित तिथि तथा समय पर महाविद्यालय में उपस्थित हो :—

1. अंतिम कक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र।
2. हाईस्कूल की अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र।
3. जाति सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी)
4. अंतिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.)।
5. अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र ।
6. बोनस अंक प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण—पत्र।
7. आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति।

कक्षाओं में उपस्थिति

उ. प्र. शासन एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) उ. प्र. एवं कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं कानपुर विश्वविद्यालय के आदेशानुपालन में प्रत्येक विभागों की कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमिति उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र अथवा छात्रा की शासकीय सहायता (छात्रवृत्ति, शुल्क, मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता कोष, बुक बैंक) एवं अन्य सहायता पर रोक के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा से भी वंचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

1. शास्ता मण्डल :—परिचय—पत्र, चरित्र प्रमाण—पत्र बनाना तथा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखना।
2. पुस्तकालय/वाचनालय :— पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी समस्त कार्य।
3. क्रीडा समितिः— क्रीड़ा सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. महाविद्यालय सम्पत्ति एवं अनुरक्षण तथा विकास समिति :— महाविद्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों को सम्पादित करना।
5. बजट एवं आय—व्यय, आयकर तथा आडिट समितिः— महाविद्यालय के आय—व्यय तथा सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करना।
6. विभागीय परिषद् समितिः— विभागीय परिषद का निर्वाचन कराना तथा उनके क्रियाकलापों का संचालन करना।
7. समारोह समितिः— महाविद्यालय में होने वाले विविध समारोहों को सम्पन्न कराना।
8. रोजगार निर्देशन एवं मंत्रणा समितिः— समय— समय पर विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख दिशा निर्देश/सलाह देना तथा विज्ञापन प्रसारित कराना।

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं महाविद्यालय मूल्यांकन समिति :– यू0जी0सी0 नई दिल्ली से महाविद्यालय के विकास हेतु विविध अनुदानों को प्राप्त करना तथा महाविद्यालय का मूल्यांकन कराया जाना।
10. छात्रवृत्ति एवं छात्र कल्याण समिति :–उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार से महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये विविध छात्रवृत्ति प्राप्त कराना तथा छात्रों के कल्याणार्थ शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता बुक बैंक सुविधा उपलब्ध कराना।
11. परीक्षा नियंत्रण समिति :– महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विविध परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं का निवारण करना।

इन समितियों के अतिरिक्त अन्य विविध कार्य महाविद्यालय में सम्पन्न कराये जाते हैं :–

1. सूचना प्रसारण :– महाविद्यालय में प्रवेश से लेकर पठन–पाठन, खेलकूद, विविध प्रतियोगिताओं, समारोह, एवं समस्त परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार सूचना तथा अवकाश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें समयानुसार सूचना–पट्ट पर लगाई जाती है। जिससे प्रत्येक विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके।
2. 2. परिचय–पत्र :– प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय का प्रमाणित परिचय–पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा जिसे वह प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर शास्ता मण्डल कार्यालय से प्राप्त करेगा। परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में रू. 50/– के नोटरी शपथ–पत्र दिये जाने पर ही निर्धारित शुल्क देकर द्वितीय प्रति परिचय–पत्र की प्राप्ति की जा सकेगी।
3. क्रीडा एवं खेलकूद :– महाविद्यालय में क्रीड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताओं की उचित व्यवस्था है जिससे महाविद्यालय के छात्र/छात्रायें विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष अपना स्थान बनाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी कर सकते हैं।
4. वाचनालय :– महाविद्यालय का अपना समृद्ध वाचनालय है जिसमें विविध कक्षाओं के विद्यार्थी एवं शोधार्थी लाभ उठाते हैं। वाचनालय में छात्रोपयोगी समस्त पत्र–पत्रिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
5. महाविद्यालय पत्रिका :– महाविद्यालय में प्रतिवर्ष एक पत्रिका एवं ई–मैगजीन के प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की विविध गतिविधियों, छात्र/छात्राओं के लेख, हास्य व्यंग्य, कवितायें एवं विकास के विविध स्वरूपों के साथ महाविद्यालय के विविध कक्षाओं के परीक्षा परिणाम, मेधावी विद्यार्थियों का विविध रूप चित्रित किया जायेगा।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :–महाविद्यालय में एन.एस.एस. की इकाई संचालित हैं। जिसमें ऑनलाइन प्रवेश होगा। पात्र छात्र–छात्राएं प्रवेश लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
7. रोवर्स रेंजर्सः– महाविद्यालय में सुभाष रोवर क्यू एवं कल्पना चावला रेंजर टीम के दो दल पजीकृत है। पात्र छात्र–छात्राएं प्रवेश लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
8. ई–लाइब्रेरीः– महाविद्यालय में ई–लाइब्रेरी संचालित है जिससे छात्र–छात्राएं ई–बुक्स एवं ई–कन्टेन्ट का अध्ययन कर सकते है।

महाविद्यालय परिवार प्रो0 मंगल किरण, प्राचार्य		
कला संकाय		
1	राजनीति विज्ञान	प्रो0 विवेक तिवारी, एसो0 प्रोफेसर
2	शारीरिक शिक्षा विभाग	प्रो0 मंगल किरण, सहा0 प्रोफेसर
3	हिन्दी विभाग	डॉ0 सुरेश कुमार, सहा0 प्रोफेसर
4	समाजशास्त्र विभाग	प्रो0 कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, सहा0 प्रोफेसर डॉ0 दयाल शरन, सहा0 प्रोफेसर प्रो0 राम लाल, सहा0 प्रोफेसर
5	संस्कृत विभाग	डॉ0 लक्ष्मी नारायण, सहा0 प्रोफेसर
6	अंग्रेजी विभाग	प्रो0 राजीव रत्न साहू, सहा0 प्रोफेसर
7	अर्थशास्त्र विभाग	रिक्त
वाणिज्य संकाय		
1	वाणिज्य	डॉ0 भैयालाल, सहा0 प्रोफेसर
विज्ञान संकाय		
1	गणित विभाग	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार, सहा0 प्रोफेसर
2	जन्तु विभाग	प्रो0 जितेन्द्र कुमार, सहा0 प्रोफेसर
3	वनस्पति विज्ञान विभाग	डॉ0 माला पाठक, सहा0 प्रोफेसर
4	भौतिक विज्ञान विभाग	प्रो हेमन्त कुमार, सहा0 प्रोफेसर
5	रसायन विभाग	रिक्त
शिक्षणेत्तर कर्मचारी		
1	प्रवक्ता–पुस्तकालय	रिक्त
2	वरिष्ठ सहायक	श्री मनोज कुमार मिश्र
3	कनिष्ठ सहायक	रिक्त
4	प्रयोगशाला सहायक	रिक्त
5	प्रयोगशाला परिचर	रिक्त

गैप इयर हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं ....पुत्री/पुत्र श्री... . पता ....जो आपके महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यालय, पिहानी हरदोई) में कक्षा .... में प्रवेश लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

1. मैं शपर्थ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इण्टर/स्नातक .... में उत्तीर्ण की है, इसके बाद वर्ष .... से वर्ष .... तक मैनें किसी भी अन्य सरस्थागत विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल में .... कारण/कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था/सकी थी।
2. यदि मेरा उक्त बयान/घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
3. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

तिथि :

प्रार्थी/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

माबेाइल नं0 ....

..